नया आवेदक/लाभार्थी के नामंकन हेतु आवश्यक दस्तावेज

- आवेदक की आयु सात वर्ष से अधिक हो।
- आवेदक का नाम वही होना चाहिए जैसा उसके आधार कार्ड में लिखा हो
- आवेदक को नामांकन करने हेतू निम्नाकिंत दस्तावेज आवश्यक है। इसलिए ये सारे दस्तावेज तैयार रखें

A. एक ईमेल आइडी **(Unique)**

B. मोबाइल नम्बर **(Unique)**

C. आधार नम्बर या आधार **(EID)** रसीद **(EID** की स्केन कापी अपलोड करने के लिए**)**

D. भामाशाह कार्ड नम्बर या भामाशाह रजिस्ट्रेशन रसीद (भामाशाह रजिस्ट्रेशन रसीद की स्केन कापी**,** अपलोड करने के लिए

E. राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र

F. जाति प्रमाण पत्र **(For ST, SC, OBC and SBC)**

G.BPL प्रमाण पत्र **(**यदि आवेदक **BPL** हो **)**

H. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि आवेदक विशेष योग्यजन हो)

I. स्कैन फाइल का फोरर्मेट **JPEG , pdf** हो।

J. स्कैन फाइल की साइज **200 KB** से कम हो।

SJMS मे आवेदक कैसे लोग-इन करें

- ब्राउज़र को खोलें और एडेªसबार मे **sjms.rajasthan.gov.in** टाइप करें।
- **SJMS** लॉग इन पेज खुलेगा जैसा चित्र मे दिखाया गया है

नए आवेदक का पंजीकरण

- आवेदक पंजीकरण पेज **Open** करने के लिए **"Citizen Registration"** बटन पर क्लिक करे
- सभी मूलभूत व आवश्यक जानकारी भरें
- चेक बाक्स पर चेक मार्क करके आपको इस बात की पुष्टि करनी है कि दी गई सभी सूचनाएं सही है।
- **"Submit Registration Form"** बटन को दबाएं।

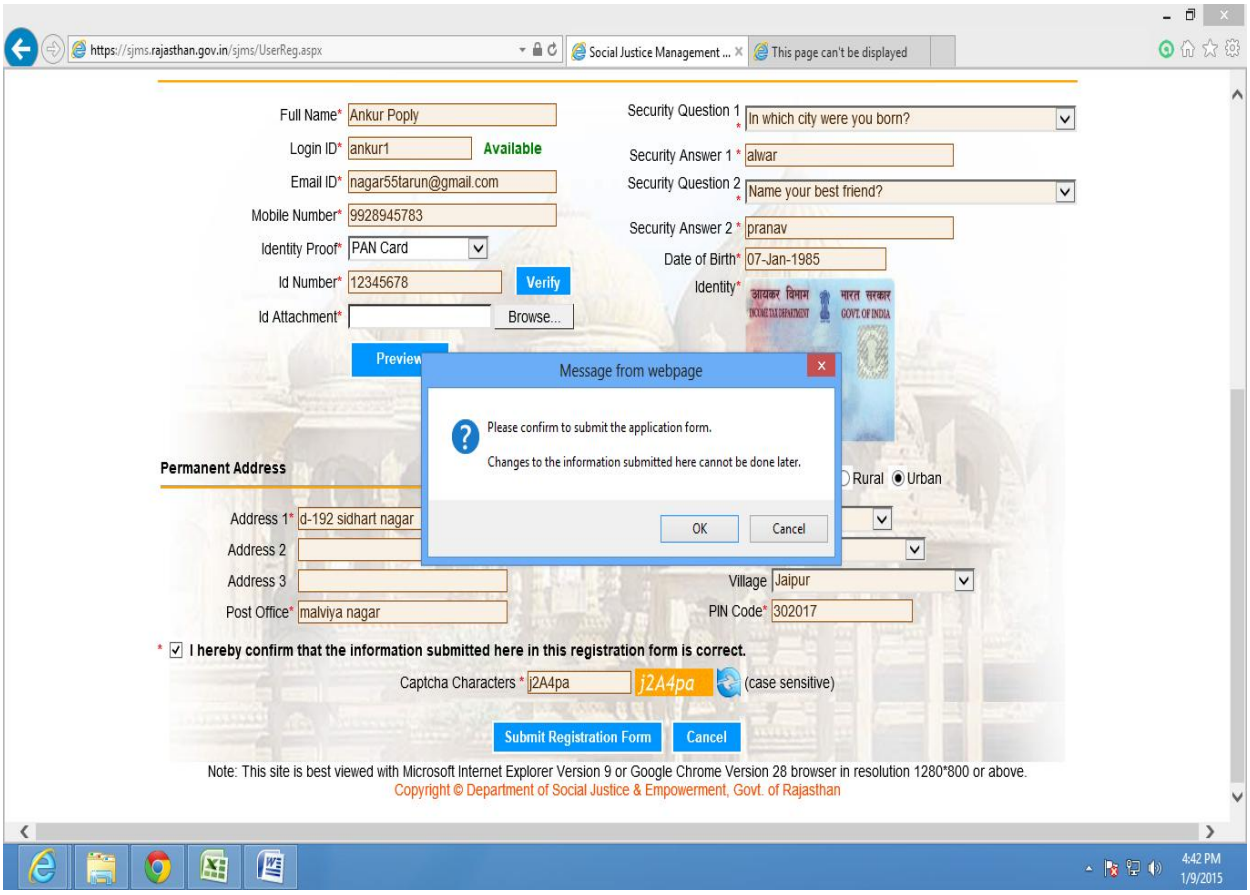

- नामांकन पत्र जमा करने के बाद आवेदक के मोबाइल और इ-मेल पर एक सूचना भेजी जाएगी
- आवेदक के इ-मेल पर एक लिंक भेजा जायेगा
- आवेदक अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आइडी लागइन करें ।
- उपयोगकर्ता की इमेल आइडी की पुष्टि के लिए इमेल मे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
- **“Click hereto Continue”** बटन पर क्लिक करने के बाद , मोबाइल पुष्टिकरण पेज खुलेगा जिसमें उपयागकर्ता को पुष्टिकरण

कोड प्रविष्ट करना आवश्यक है जो उसके मोबाइल पर **SMS** द्वारा प्राप्त हुआ है।

"Click hereto Continue" बटन पर क्लिक करने के बाद , मोबाइल पुष्टिकरण पेज खुलेगा जिसमें उपयागकर्ता को पुष्टिकरण कोड प्रविष्ट करना आवश्यक है जो उसके मोबाइल पर **SMS** द्वारा प्राप्त हुआ है।

आवश्यक कालम मे कोड प्रविष्ट करें और **Verifiy** बटन पर क्लिक करे।

- क्लिक करने के बाद , उपयोगकर्ता को एक पावती प्राप्त होगी जो इस बात की प्रत्यक्ष होगी कि मोबाईल और ईमेल का पुष्टिकरण हो चुका है।

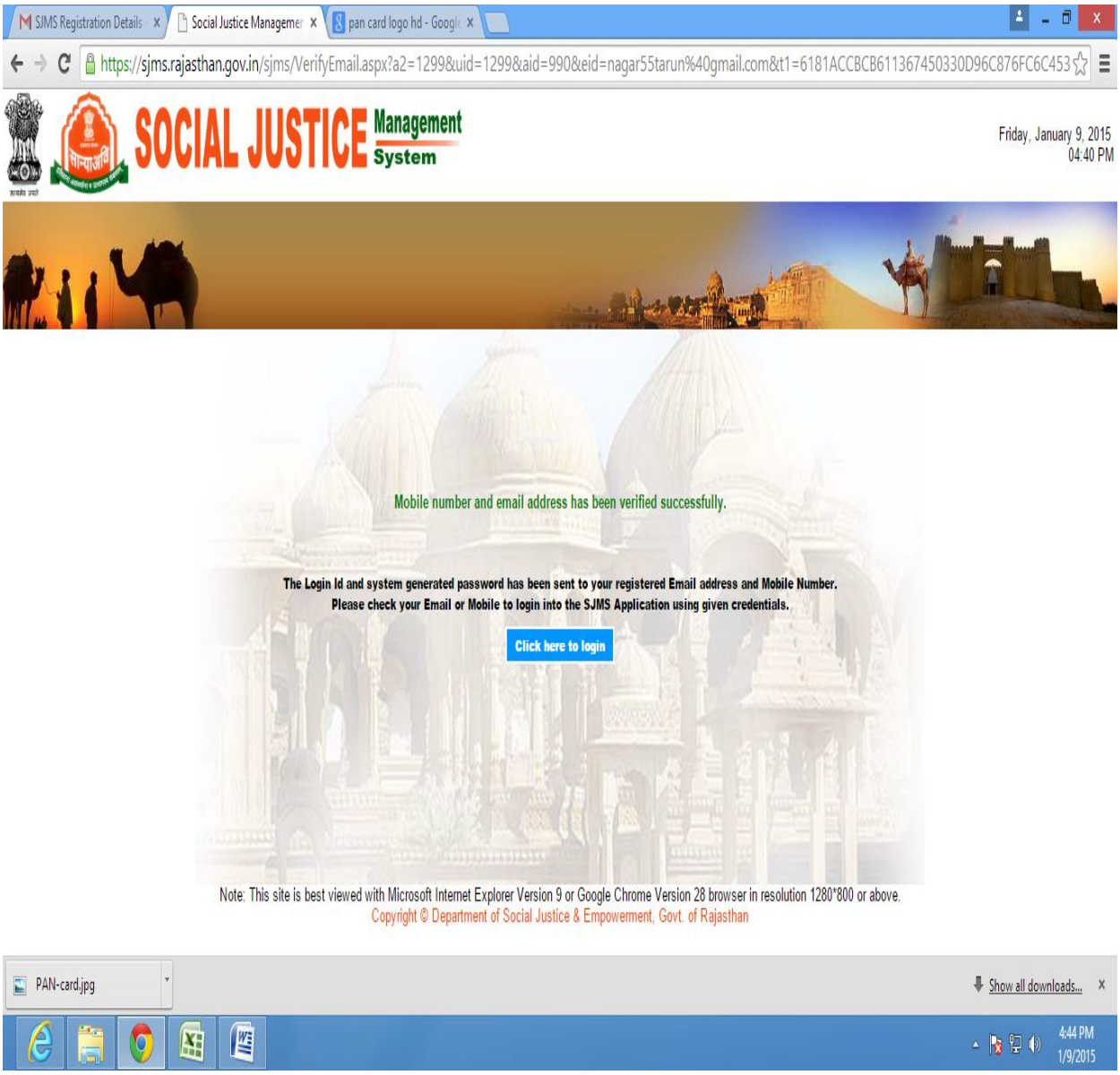

आवेदक कैसे लॉग इन करें

- लाग इन पेज को खोलने के लिए **“Click here to login”** बटन पर क्लिक करें।
- लॉग इन पेज में यूजर टाइप “ सिटीजन यूजर ” चुने
- अपनी लाग इन आईडी व प्रणाली उत्पन्न पासवर्ड प्रविष्ट करें जो उपयोगकर्ता को इमेल या मोबाईल **SMS** द्वारा आवंटित हुआ है।

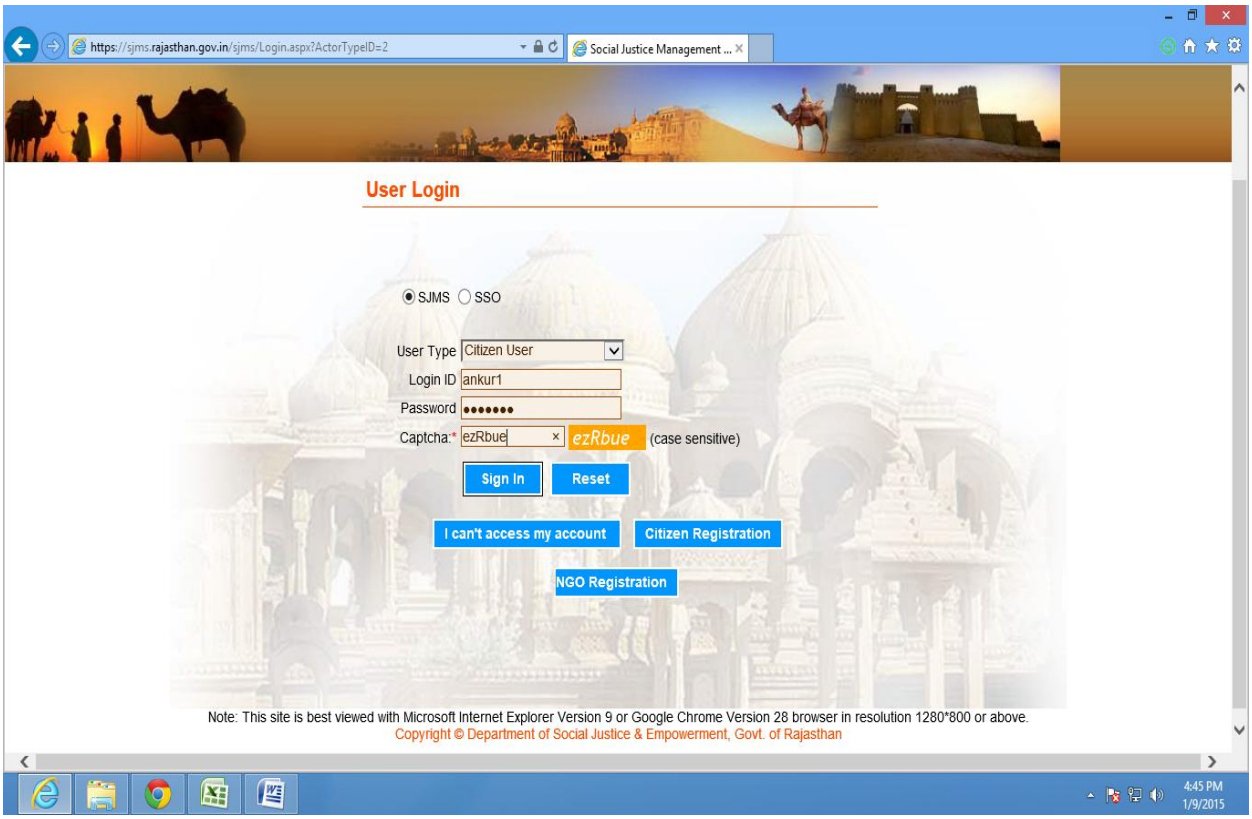

सबसे पहले, उपयोगकर्ता की रूपरेखा (प्रोफाइल) खुलेगी, प्रत्येक उपयोगकर्ता को आवश्यक है कि नया पासवर्ड प्रविष्ट करके अपडेट करे। ओर कुछ अतिरिक्ति व आवश्यक विवरण भी प्रविष्ट करें जैसे पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जाति, पति / पत्नि का नाम (यदि शादी शुद्धा हो) लिंग, **EID**नम्बर, **BPL** नम्बर (यदि **BPL** हो) , बैंक का नाम, बैंक शाखा, खाता इत्यादि

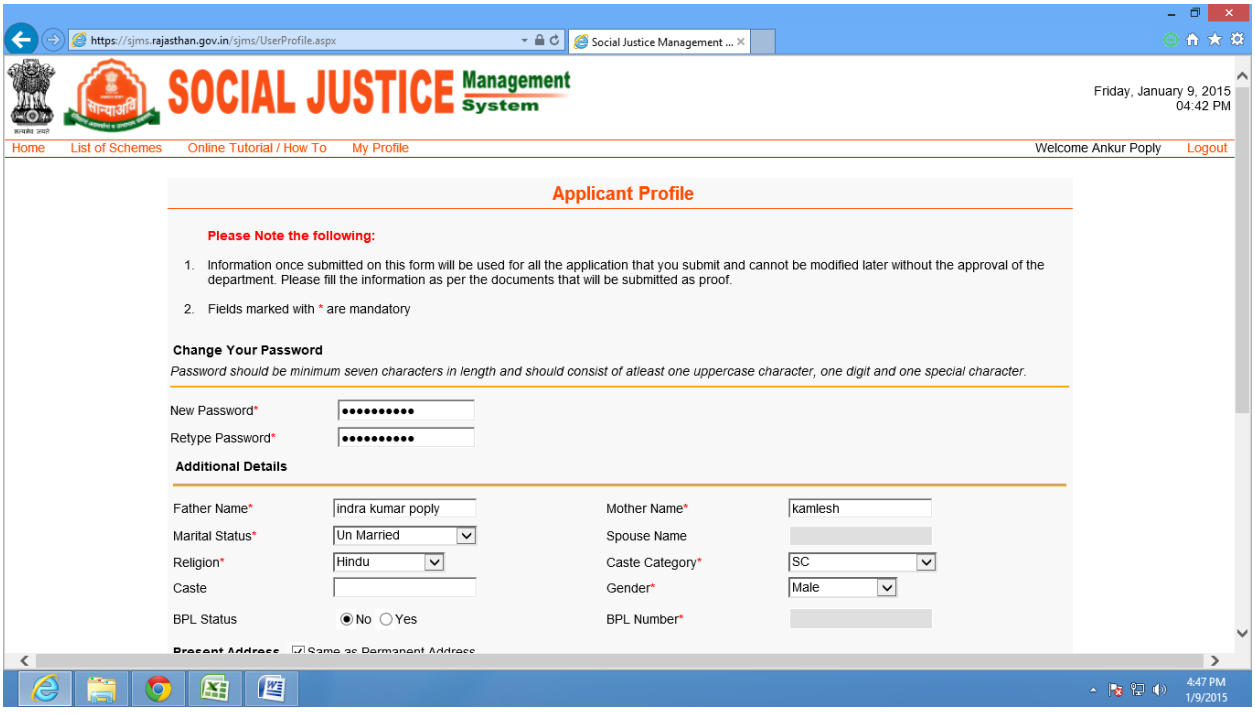

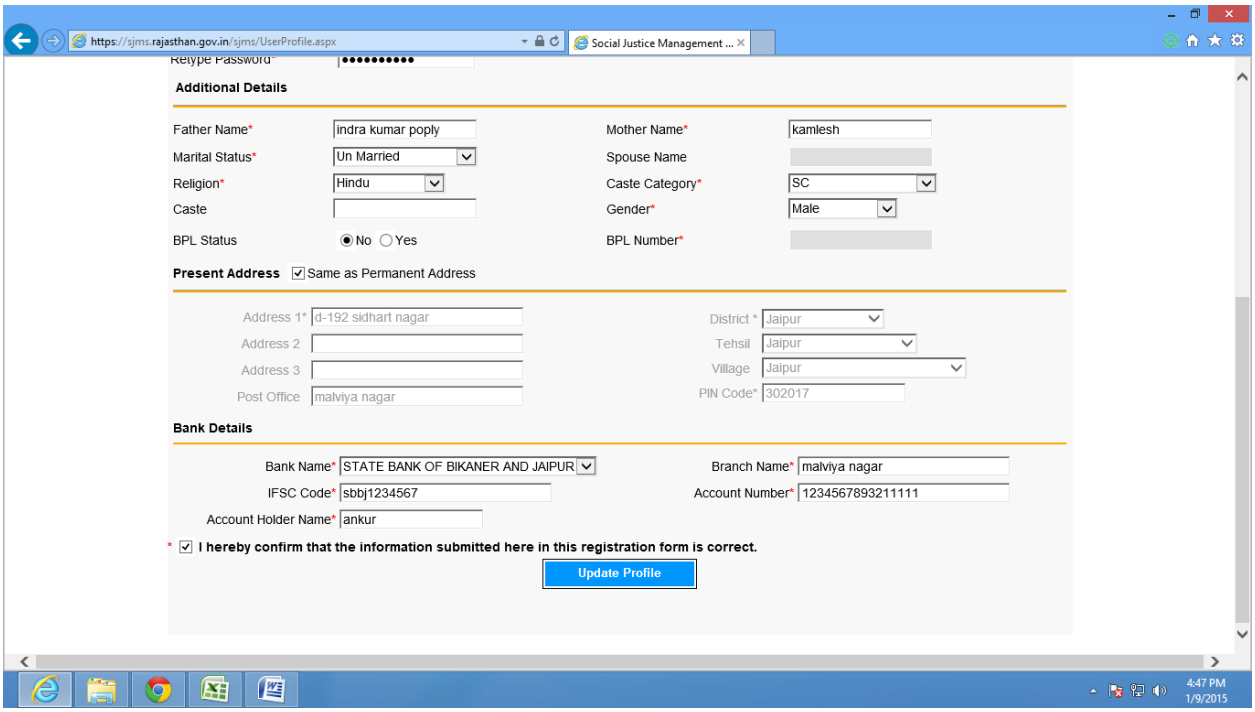

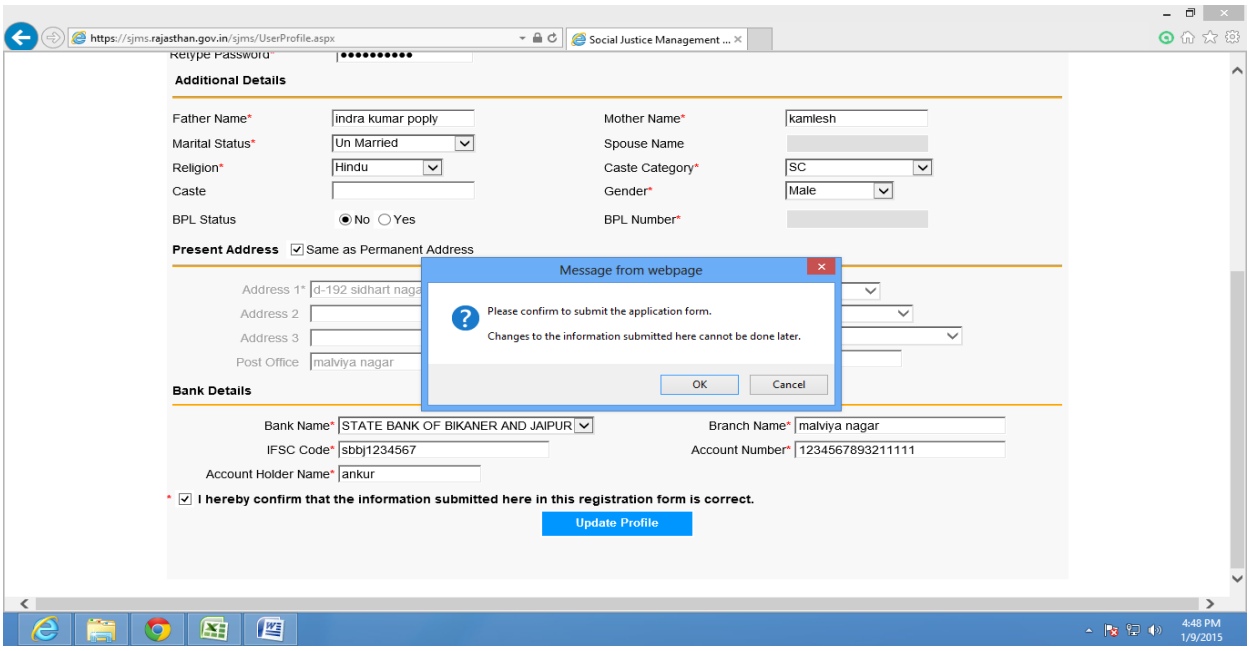

- सभी आवश्यक विवरण प्रविष्ट करने के बाद , **“Update Profile”** बटन पर क्लिक करें,

- फॉर्म जमा करने के पश्चात उपयोगकर्ता एक पावती प्राप्त करेगा जो इस बात की प्रत्यक्ष है कि उसकी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है

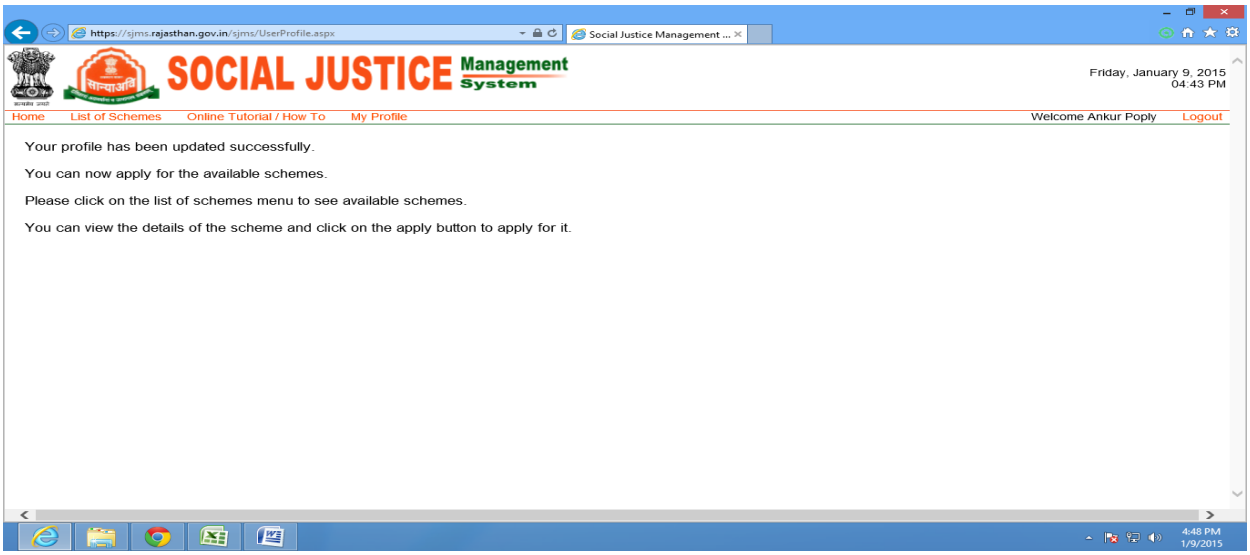

एक बार नामांकन होने के पश्चात आवेदक किसी भी स्कीम में आवेदन करने योग्य होगा

आवेदन करने के लिए उसे **“Veiw Scheme”** के लिंक पर क्लिक्क करना होगा